



2/2 CF= 2/7



स्वाभाव्य जमिंदार/प्रथम श्रेणी/अधिकारियों हसनपुर जेजौलगर
 बाब सं/1/2009 धारा 143 उपलब्ध/विपु एवं मुमि कसु जमिंदारिया
 ग्राम हसनपुर तहसील व परगना हसनपुर
 एम.डी.ओ.डि.ओ. कालिदास तैयनगौ जयश्याम टी.टी.काराम बनारस गौनबा
 निर्णय
 2009

प्रस्तुत बाब हसनपुर तहसील तैयनगौ तहसील हसनपुर जिला जेजौलगर
 धारा जयश्याम टी.टी.काराम पुन हसनपुर विं निपु तैयनगौ धारा घोषित किया गया
 जिसमें शामिल/बाबत वरका तहसील हसनपुर जिला जेजौलगर को प्रतीकाधी स्थापना
 गया है। बाबों ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि ग्राम हसनपुर तहसील हसनपुर
 स्थित मुमि गाटा सं/1/2007/क 004, 00/क 102, 09/क 121, 70/क 243, 09/क 121, 70/क 121
 लगान उक्त टैक्स/का बाबों संश्लेषित मुमिधर स्वामियों है। वर्तमान में उक्त मुमि
 कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त मुमि को अक्षयिक मुमि घोषित किए जाने का
 अनुरोध किया है। तहसीलदार हसनपुर के जयश्याम टी.टी.काराम हसनपुर
 हसनपुर ने अपनी जयश्याम विनॉक 27-10-09 में कहा है कि मुमि स्विक ग्राम हसनपुर
 को गाटा सं/1/2007/क 004, 00/क 102, 09/क 121, 70/क 121, 70/क 121, 70/क 243
 हेतु मुमि बतौनी एवं 141000 142000 में एम.डी.ओ.डि.ओ. कालिदास तैयनगौ तहसील
 हसनपुर जयश्याम टी.टी.काराम पुन हसनपुर के नाम धारें संश्लेषित मुमिधर एवं है
 उक्त मुमि वर्तमान में अक्षयिक है। कृषि कार्य के अभाव में नहीं लीजा रही है।
 मुमि विधायित नहीं है। उपरोक्त मुमि को अक्षयिक मुमि घोषित किए जाने हेतु
 जयश्याम संश्लेषित सहित प्रेषित की है। विधान अधिनियमों व कर्षीक कबल
 हुनी गई।

विधान अधिनियमों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में व बाबों का कलतापूर्वक
 अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसील धार हसनपुर ने उक्त मुमि को अक्षयिक
 मुमि घोषित किए जाने को संश्लेषित की है और तहसीलदार को जयश्याम पर
 किसी भी पत्र धार। कोई आपत्ति नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त
 मुमि अक्षयिक मुमि घोषित किए जाने योग्य है।

==संक्षेप==

उतः ग्राम हसनपुर तहसील हसनपुर में स्थित मुमि गाटा सं/1/2007/क 004, 00/क 102, 09/क 121, 70/क 121, 70/क 243 हेतु मुमि बतौनी एवं 141000 142000 में एम.डी.ओ.डि.ओ. कालिदास तैयनगौ तहसील हसनपुर जयश्याम टी.टी.काराम पुन हसनपुर के नाम धारें संश्लेषित मुमिधर एवं है उक्त मुमि वर्तमान में अक्षयिक है। कृषि कार्य के अभाव में नहीं लीजा रही है। मुमि विधायित नहीं है। उपरोक्त मुमि को अक्षयिक मुमि घोषित किए जाने हेतु जयश्याम संश्लेषित सहित प्रेषित की है। विधान अधिनियमों व कर्षीक कबल हुनी गई।

अन विनॉक 28-10-09 को पत्र अधिसूचना द्वारा स्वाभाविक में स्वाभाविक की सूची
 सहित भेरे द्वारा हस्ताक्षरित उपलब्ध किया गया।

सत्य प्रतिनिधि
 राजस्व उपनिष्ठाकार
 28/9/09

पति/कार/करीबी
 28/9/09

Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature at the bottom left.

Handwritten signatures and official stamps at the bottom right, including the name 'अतिरिक्त उपनिष्ठाकार हसनपुर'.